"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 465]　　　　रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2016— पौष 5, शक 1938

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-47/2016/वा.क.(आब.)/पांच (83). — छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, प्रदेश के छबिगृहों में हिन्दी फीचर फिल्म "दंगल" के प्रदर्शन को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) की प्रभावशीलता से 6 माह (छ: माह) की अवधि के लिये इस शर्त के साथ छूट प्रदान करता है कि छबिगृह स्वामी द्वारा उक्त फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व से प्रचलित प्रवेश दर को उस सीमा तक ही कम किया जायेगा, जितनी कि छूट प्रदान की गई है.

2. यह छूट इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 10-47/2016/वा.क.(आब.)/पांच (83). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-47/2016/वा.क.(आब.)/पांच (83), दिनांक 24-12-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 24th December 2016

NOTIFICATION

No. F 10-47/2016/CT(Ex.)/V (83).— In exercise of the powers conferred by Section 7 of Chhattisgarh Entertainments Duty And Advertisements Tax Act 1936 (No. 30 of 1936), the State Government hereby exempts the exhibition of the Hindi Feature Film "Dangal" in the Cinema halls of State from the applicability of sub-section (1) of the Section 3 of said Act for a period of 6 months (Six months), subject to condition that proprietor of cinema hall shall reduce the rate of admission prevailing prior to the exhibition of this film to the extent of exemption granted.

2. This exemption will be effective from the date of issue of this Notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.